



# राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता



क्रमांक- एफ.19(1)0/निमअ/एसएचजी/BTW/2021-22/785-817

जयपुर, दिनांक 7-1-2022

उपनिदेशक/सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता  
जिला- समस्त।

**विषय:- जागृति: बैक टू वर्क योजना अंतर्गत लक्षित श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन पंजीकरण करवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जागृति: बैक टू वर्क योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त योजना के अंतर्गत कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो विवाह अथवा किसी अन्य कारण से जॉब छोड़ देती हैं, उनको निजि क्षेत्र के सहयोग से पुनः जॉब/वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15000 महिलाओं को जॉब/वर्कफ्रॉम होम से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत लक्षित श्रेणी की महिलाओं का <http://www.jagritibacktowork.org> लिंक पर अधिकाधिक पंजीकरण करवावें तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

( रश्मि गुप्ता )

आयुक्त

महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक 7-1-2022

क्रमांक- एफ.19(1)0/निमअ/एसएचजी/BTW/2021-22/818-819

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त लिंक <http://www.jagritibacktowork.org> को विभागीय वेबसाईट पर जोड़ने एवं पत्र को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. श्रीमती नेहा बागड़िया, जॉब्स फोरहर, 31/5, रिच काउन, कोल्स रोड, क्लीवलैंड टाउन, पुलकेसीनगर, बेंगलूरु, कर्नाटक-560005

अतिनिदेशक, (एस.एच.जी.)

महिला अधिकारिता

पता : जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर | दूरभाष : 0141-2716418

Website : [www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in) | Email : [shgcell.we@rajasthan.gov.in](mailto:shgcell.we@rajasthan.gov.in)